



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- ११० /७७-६-१९-८(एम) /२०१२टी.सी.iv
लेखनांक : दिनांक ०५ दिसम्बर, २०१९
अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 जो शासनादेश संख्या 1599/७७-६-१२-०८-(एम)/१२टी०सी० दिनांक 30 नवम्बर, 2012(यथा संशोधित) द्वारा निर्गत की गई थी, के कठिपप्य प्रस्तरों में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करने की श्री राज्यपाल महोदय सहष्ट स्वीकृति प्रदान करते है :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2019

- 1- संक्षिप्त नाम विस्तार एवं १(१) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2019 कही जायेगी।
१(२) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
- 2- प्रस्तर-२-ड., प्रस्तर-४ एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012(यथा प्रस्तर -५(१) एवं ५(२) का संशोधित) के प्रस्तरों में स्तम्भ-१ में दिये गये विद्यमान प्राविधान के स्थान पर स्तम्भ-२ में दिया गया प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-१	स्तम्भ-२	
प्रस्तर संख्या	विद्यमान प्राविधान	एतद्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
२	परिभाषाये	<p>ड. विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पात्र इकाई से है जिसकी अतिरिक्त बिकी (Incremental turnover) की प्रथम तिथि सितम्बर ४ या उसके बाद पड़ती हो तथा जिसमें मूल स्थायी पूँजी निवेश (डिप्रिसियेशन का लाभ दिये बिना) का कम से कम २५ प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम से कम २५ प्रतिशत वृद्धि की जाये।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को विस्तारीकरण के ठीक पूर्व में लगातार तीन वर्षों में से</p> <p>ड. विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पात्र इकाई से है जिसकी अतिरिक्त बिकी (Incremental turnover) की प्रथम तिथि सितम्बर ४ या उसके बाद पड़ती हो तथा जिसमें मूल स्थायी पूँजी निवेश (डिप्रिसियेशन का लाभ दिये बिना) का कम से कम २५ प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम से कम २५ प्रतिशत वृद्धि की जाये।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों को विस्तारीकरण के ठीक पूर्व में लगातार तीन वर्षों में</p>

		<p>किसी वर्ष के अधिकतम वार्षिक विक्रय धन से अतिरिक्त विक्रय धन (Incremental turnover) पर भुगतान किये गये वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा अतिरिक्त विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, पर ही योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण का लाभ उपलब्ध होगा।</p>	<p>से किसी वर्ष के अधिकतम वार्षिक विक्रय धन से अतिरिक्त विक्रय धन (Incremental Turnover) पर भुगतान किये गये</p> <ol style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम/वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग के समतुल्य धनराशि (दिनांक 30.06.2017 तक) एवं जी0एस0टी० के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस०जी०एस०टी० (इनपूट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाए जाने के पश्चात) की धनराशि (दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी) अथवा अतिरिक्त विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो पर ही योजना के अन्तर्गत ब्याजमुक्त ऋण का लाभ उपलब्ध होगा।
4	ऋण की सीमा	<p>किसी वर्ष में ऋण की सीमा जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/ अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/ अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>किसी वर्ष में ऋण की सीमा जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/ अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर</p> <ol style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम/वैट तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि (दिनांक 30.06.2017 तक) एवं जी0एस0टी० के अन्तर्गत राज्य के अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस०जी०एस०टी० (इनपूट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाए जाने के पश्चात) की धनराशि (दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी) अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/ अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

5	<p>ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया</p>	<p>5(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा अपने वार्षिक विवरण पत्रों की चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित तीन प्रतियों पिकप/ यू०पी०एफ०सी० को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व नियमानुसार देय व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेंगी। व्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये औद्योगिक इकाइयों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा:-</p> <p>पूरे प्रदेश में ऐसी पात्र खाद्य प्रसंस्करण पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों तथा पूर्वान्वय, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल में स्थापित होने वाली समरत इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश रु. 05 से 10 करोड़ हो तथा उपरोक्त से भिन्न सभी इकाइयों जिनमें रथायी पूँजी निवेश / अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रु.12.50 से 25 करोड़ तक हो व्याज मुक्त ऋण हेतु यू०पी०एफ०सी० को आवेदन करेगी।</p> <p>प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई पात्र इकाई वर्ष की समाप्ति के अग्रिम 30 सितम्बर तक व्याज मुक्त ऋण हेतु आवेदन नहीं देती है तो विलम्ब की अवधि उसकी 10 वर्ष की पात्रता अवधि के अंतिम वर्ष से घटा दी जायेगी तथा इकाई अवशेष अवधि के लिये ही व्याज मुक्त ऋण की पात्र होगी।</p>

	<p>निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर/वेट तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि (दिनांक 30.06.2017 तक)</p> <p>एवं</p> <p>जी०एस०टी० के अन्तर्गत राज्य की अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस०जी०एस०टी० (इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाये जाने के पश्चात) की धनराशि (दिनांक 01-07-2017 से प्रभावी)</p> <p>अथवा</p> <p>उस वर्ष के वार्षिक विक्रय/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन / अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि व्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेंगे।</p>	<p>निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर भुगतान किये गये उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर/वेट तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि (दिनांक 30.06.2017 तक)</p> <p>जी०एस०टी० के अन्तर्गत राज्य की अंश की सीमा तक जमा करायी गयी नेट एस०जी०एस०टी० (इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि घटाये जाने के पश्चात) की धनराशि (दिनांक 01-07-2017 से प्रभावी)</p> <p>अथवा</p> <p>उस वर्ष के वार्षिक विक्रय/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन / अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि व्याजमुक्त ऋण के रूप में स्वीकृत करेंगे।</p>
--	---	--

संख्या- ९७० /७७-६-१९-८(एम)/२०१२टी.सी.iv, तदूदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ.प्र. प्रयागराज।
- 2- मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
- 3- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 4- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर।
- 9- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगम एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- 11- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-१, उ०प्र० शासन।
- 12- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी माल एवेन्यू, लखनऊ।

- 13- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
- 14- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को नियमावली की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसकी 150 प्रतियां मुद्रित कराकर, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 15- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 16- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 17- कर निबन्धन अनुभाग-2
- 18- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
उप सचिव।

RECEIVED
Dated 13.09.
Date - 26-12-18
Dig.

39/2018/4074
संख्या- 77-6-18-25(एम)/2017

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

1. समस्त सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय कानपुर।
4. प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ। ✓
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
6. अधिकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2018

विषय:- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रख्यापन के पश्चात पूर्व में प्रचलित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतिम तिथि निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 दिनांक 13.07.2017 को एवं उक्त नीति के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली दिनांक 25.10.2017 को प्रख्यापित की जा चुकी है तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 को भी अन्तिमीकृत नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में दो नीतियों के प्रचलित रहने से नीति के क्रियान्वयन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के प्रख्यापन तिथि दिनांक 13.07.2017 से पूर्व जिन इकाईयों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है, वे इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पात्र मानी जायेंगी तथा जिन इकाईयों द्वारा दिनांक 13.07.2017 एवं उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया जायेगा वे इकाईयां अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पात्र नहीं मानी जायेंगी।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव।



ठत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक निवेश अनुमति-6
संख्या-260/77-6-16-10(एम) /2015
लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2016.

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 जो शासनादेश संख्या 1599/77-6-12-08(एम)/12टी०सी० IV दिनांक 30 ज्वान्वर, 2012 द्वारा बनाई गई, में एतदद्वारा निम्नलिखित आंशिक संशोधन करके की श्रौं राज्यपाल महोदय सहृदय स्वीकृति प्रदान करते हैं-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (प्रथम संशोधन), 2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली (प्रथम संशोधन), 2016 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2- नियम-5(12) का संशोधन

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2012 के नियम-5(12) को निम्नवत् संशोधित कर दिया गया है।

3- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012 के प्रस्तर-5(12) में अंकित वर्तमान प्राविधान को स्तम्भ 2 में अंकित प्राविधान के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>"5(12)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो क्रृण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं। पात्र इकाई से प्रतिभूति की कमी को आवश्यकतानुसार कॉलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (lien) संबंधित विधिक औपचारिकताएं पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।</p> <p>इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याज मुक्त क्रृण</p>	<p>"5(12)- पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों का पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेगी जो क्रृण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अभिलिखित करते हुए द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदारों, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल बाण्ड मांग सकते हैं। पात्र इकाई से प्रतिभूति की कमी को आवश्यकतानुसार कॉलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस प्रकार प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (lien) संबंधित विधिक औपचारिकताएं पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।</p> <p>क्रृण की सुरक्षा हेतु ली जाने वाली प्रतिभूति के</p>

<p>के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिये) भी स्वीकार किया जा सकता है।"</p>	<p>स्वरूप एवं मात्रा का निर्धारण पिकप/यू.पी.एफ.सी. के निदेशक भाण्डल द्वारा किया जायेगा।</p> <p>अथवा</p> <p>इकाई द्वारा <u>पब्लिक सेक्टर बैंक/शेइयूल्ड बैंक</u>, जो आर.बी.आई. द्वारा मान्य बैंक <u>एजेन्सी</u> हो, से व्याजमुक्त ऋण के समतुल्य बैंक गारण्टी (सम्पूर्ण ऋण अदायगी की अवधि के लिए) भी स्वीकार किया जा सकता है।"</p> <p>तथा</p> <p>ऋण की सुरक्षा तथा अदायगी के जीविम को न्यूनतम किए जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों का अनुपानक सुनिश्चित किया जाएगा-</p> <p>"ऋण की सुरक्षा के संबंध में जो भी गारण्टी ली जायेगी उसकी शुल्किता एवं सापेक्षता पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा प्रमाणित की जायेगी व इसके लिये यह स्वयं जिम्मेदार होंगे।</p> <p>जिन प्रकरणों में भूमि को गारण्टी के रूप में लिखा जायेगा, उनमें गारण्टी स्वीकार करने वाले अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की पुष्टि कर ले कि गारण्टी के रूप दी जा रही भूमि हर प्रकार से भारमुक (Encumbrances) है।"</p>
--	---

तदनुसार औद्योगिक निवेश प्रौद्योगिक नियमावली-2012 के संबंध में निर्यात शासनादेश संख्या-15.99/77-6-12-08-(एम)/12टी०सी० IV दिनांक 30 नवम्बर, 2012 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

- 2- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(महेश कुमार गुप्ता)

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

संख्या- 260(1)/77-6-16-10(एम)/2015, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ.प्र. इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर को अतिरिक्त प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया सभी जनपदीय एवं मण्डलीय अधिकारियों को इससे अवगत कराने का कष्ट करें।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उप्रेक्षा विभाग, लिंगम, कानपुर।
- 8- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम/व्यापार कर विभाग, उप्रेक्षा शासन।
- 9- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगम एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- 10- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उप्रेक्षा शासन।
- 11- संयुक्त अधिकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, १२ सो आल श्वेत्यु, लखनऊ।
- 12- आयुक्त, व्यापार कर गोमती नगर, लखनऊ।
- 13- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐश्वर्य लखनऊ को नियमावली की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इसकी 150 प्रतियां मुद्रित कराकर, औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 14- वित्त (व्यय-विनियंत्रण) अनुभाग-6
- 15- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
- 16- कर निबन्धन अनुभाग-2
- 17- गार्ड फाईल।

आसा से,

Kanchan

(कचन वर्मा)

विशेष सचिव।

संख्या : 318/77-6-13-17(एम)/2013

प्रेषक,

कौशल राज शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
पिकप, पिकप भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

CUP
संख्या 68
दिनांक 15-4-13

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2013

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना- 2012 का पिकप द्वारा कियान्वयन किये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-इन्स-10-3/12-13/3629 दिनांक 28, फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1416/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी iv दिनांक 30 नवम्बर, 2012 एवं तदसंलग्न नियमावली संख्या-1599/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी iv दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के प्रस्तार- 5(1) में ऋण स्वीकृति तथा वसूली की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जिस श्रेणी की इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण हेतु पिकप को आवेदन करने की व्यवस्था की गयी है, उसके प्रयोजनार्थ उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार 'पिकप' को योजना चलाने हेतु अधिकृत किया जाता है। कृपया व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त अधिकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

उप प्र० का
15-4-13

DY.M.D.(P.)

15/4/13
(Devinnder Singh)
Dy. Managing Director

-10-

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

SMT
Singh
M.F.B.I.U

संख्या : 1416/77-6-12-08-(एम) / 12 दी.सी.IV

(3)

प्रेषक,

संघर्ष प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग

उद्योग निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, कानपुर।

PICUP
Discd 1854
Sign 07-12-12

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर 2012

विषय: औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 2974/77-6-2003-41टैक्स/01 दिनांक- 06 नवम्बर, 2003 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा संशोधित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना दिनांक- 04 सितम्बर, 2012 से लागू होगी। जिन इकाईयों की प्रथम विक्री की तिथि दिनांक- 04 सितम्बर के पूर्व पड़ती है, वह औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत ब्याज मुक्त क्रण की पात्र रहेगी।

2- योजनान्तर्गत पूरे प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाईयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाईयों तथा पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुदेलखण्ड में स्थापित होने वाली सभी नयी इकाईयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों जिनमें ₹0 5.00 करोड़ या अधिक का स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुदेलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण, पशु-संपदा आधारित इकाईयों तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाईयों को छोड़ कर अन्य समस्त ऐसी नयी इकाईयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाईयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश ₹0 12.5 करोड़ या अधिक किया गया हो, को प्रथम विक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किए गये वेट व केच्चीय विक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त क्रण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी जिसका भुगतान क्रण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद एकमुश्त रूप में देय होगा।

3- यह योजना पिकप तथा उ०प्र० वित्तीय निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। योजना कि क्रियान्वयन हेतु आवश्यक बजट की धनराशि औद्योगिक विकास विभाग द्वारा पिकप/यू०पी०एफ०सी० को उपलब्ध कराई जायेगी।

नीति भूमि -

८५०८०१८
१-१२-१२

०८५५(F)

20/10/2012
- 5 -
Allender Singh)

W.C.W.
S.M.T./mflh9
M.C.

4- उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
संलग्नक- यथोक्त

भवदीय,

(संजय प्रसाद)


सचिव।

संख्या : 1416 (1) / 77-6-12-08-(एम) / 12 टी.सी.IV तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- आयुक्त वाणिज्य कर विभाग, गोपती नगर, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर विभाग।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० वित्तीय निगम तथा प्रबन्ध निदेशक, पिकप को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर प्रदेश के जनपदों को उक्त योजना की जानकारी भी प्रसारित करने की व्यवस्था करें।
- 4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजना की 1500 प्रतियों मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियों प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 5- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
- 7- कर विभाग, अनुभाग-2
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या : 1416(2) / 77-6-12-08-(एम) / 12 टी.सी.VI तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं 'जनसम्पर्क' विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अन्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार भ्रात्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार करवाने की कृपा करें। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2012 की प्रति संलग्न है।
संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,


(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

जल्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्या : 1599/77-6-12-08-(एम) / 12टी.सी.IV
लेखनक्रम : दिनांक ३० नवम्बर, 2012

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत, राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुये शासनादेश संख्या 1416/77-6-12-08-(एम) / 12टी.सी.IV दिनांक ३० नवम्बर, 2012 के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश में इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देने तथा उत्पादन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2012

1. संक्षिप्त नाम 1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2012 कही एवं प्रारम्भ: जाएगी।
 1(2) यह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।
 1(3) यह दिनांक ५ सितम्बर 2012 से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं क. बिक्री की प्रथम तिथि को तात्पर्य चार्टड एकाउन्टेंट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री (Incremental Turnover) को प्रथम तिथि से है। या उत्पन्न के उत्साहन के तथा उत्पन्न के तथा उत्पन्न के भवन, म्लांड, मशीनरी तथा पूँजीगत परिस्पत्तियों में किये गये एस निवेश से है जिसके माध्यम से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि दिनांक ५ सितम्बर 2012 को या उसके बाद पड़ती है।
 2(1) स्थायी पूँजी निवेश की गणना हेतु उत्तर प्रदेश में पूर्व में प्रयोग की जा चुकी लाप्ट, मशीनरी तथा पूँजीगत परिस्पत्तियों में किये गये ऐने निवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता।
 2(2) प्रदेश को सम्मिलित नहीं किया जाता।
 2(3) 'मून्ड इकाई' का तत्त्वात्मक ऐसी जहां विस्तारीकरण करने वाली इकाई से है जिसके द्वारा नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश से निर्मित माल की बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि ५ सितम्बर 2012 को या उसके बाद पड़ती है तथा जिसमें पूँजी प्रदेश में खाद्य प्रसाकरण, पशु संस्कार जाधारित तथा सुचना औद्योगिकी क्षेत्र की ऐसी नयी इकाइयों तथा विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों तथा

पूर्वान्वयल, मध्यान्वयल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली सभी नयी इकाइयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें रु. 5 करोड़ या अधिक का स्थायी पैंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पैंजी निवेश किया गया हो तथा पूर्वान्वयल, मध्यान्वयल व बुन्देलखण्ड के अतिरिक्त अन्य जनपदों में खाद्य प्रसंस्करण, पशु सम्पदा आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इकाइयों को छोड़कर अन्य समस्त ऐसी नयी इकाइयों व विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों जिनमें स्थायी पैंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पैंजी निवेश रु. 12.50 करोड़ या अधिक किया गया हो।

घ. नयी इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पत्र इकाई से है जिसकी प्रथम विक्री की तिथि दिनांक 4 सितम्बर 2012 अथवा उसके बाद पड़ती हो तथा जिसके द्वारा किसी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्राप्त कर लिया गया हो अथवा जिसने भारत सरकार के उद्योग विभाग से आंशग पत्र अथवा इच्छा पत्र का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर लिया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी वर्तमान इकाई के निर्माण स्थल पर पूर्व में निर्मित वस्तु के निर्माण हेतु वर्तमान इकाई के स्वामियों द्वारा लगाइ जाने वाली इकाई को नई इकाई नहीं माना जायेगा।

ड. विस्तारीकरण करने वाली इकाई का तात्पर्य किसी ऐसी पत्र इकाई से है जिसकी अतिरिक्त विक्री (Incremental turnover) की प्रथम तिथि सितम्बर 4 या उसके बाद पड़ती हो तथा जिसमें मूल स्थायी पैंजी निवेश (डिप्रिसियेशन का लाभ दिये बिना) का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी पैंजी निवेश किया गया हो तथा अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 25 प्रतिशत कृद्धि की जाये।

प्रतिबन्ध यह है कि विस्तारीकरण करने वाली इकाइयों की विस्तारीकरण की ठीक पूर्व में लगातार तीन वर्षों में से किसी वर्ष के अधिकतम वार्षिक विक्रय धन से अतिरिक्त विक्रय धन (Incremental Turnover) एवं भुगतान किये गये ऐट तथा केन्द्रीय विक्री कर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा अतिरिक्त विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, पर ही योजना के अन्तर्गत व्याज मुक्त ऋण का लाभ उपलब्ध होगा।

च. पूर्वान्वयल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यान्वयल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित मण्डलों से है।

छ. 'वार्षिक विक्रय धन' का तात्पर्य पत्र इकाई द्वारा किये गये नये स्थायी पैंजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पैंजी निवेश से निर्मित माल की दिनांक 01 अप्रैल अथवा, यथास्थिति, बिक्री/अतिरिक्त बिक्री की प्रथम तिथि से अग्रिम 31 मार्च की अवधि में, की गयी बिक्री से है।

ज. 'पिकप' का तात्पर्य दि. प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है।

झ. "यू.पी.एफ.सी." का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के लक्ष्य से गठित वित्तीय निगम है।

ट. 'ऋण विवरण की तिथि' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा इकाई को ब्याज मुक्त ऋण की धनराशि का चेक अथवा अन्य किसी माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा दी जायें।

ड. 'ऋण उगतान की तिथि' उस तिथि को माना जाएगा जिस दिन इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को ब्याज मुक्त ऋण की वापसी की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट अथवा अन्य किसी माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा दी जायें।

ढ. 'वर्ष' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। पात्र इकाइयों द्वारा नये पूँजी निवेश/अतिरिक्त पूँजी निवेश से निम्न माल की विक्री/अतिरिक्त विक्रय धन की प्रथम तिथि से 10 वर्ष तक होगी।

किसी वर्ष में ऋण की सीमा जो किसी भी दशा में इकाई द्वारा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय-धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर उत्तर प्रदेश वाणिज्य-कर अधिनियम तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान किये गये कर के योग की धनराशि अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

५ (1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति की अग्रिम 30 सितम्बर तक पात्र इकाई ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र तथा उपने वार्षिक विवरण पत्रों की घारेंड एकाउन्ट से प्रमाणित तीन प्रतियों पिकप/यू.पी.एफ.सी. को देगी। पात्र इकाई प्रार्थना पत्र देने के पूर्व स्वीकृत वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर की धनराशि, नियमानुसार राजकीय कोषागार में जमा करेगी। ब्याज मुक्त ऋण हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिये जौदौगिक इकाइयों का वर्णकारण निम्न प्रकार होगा :-

पूरे प्रदेश में ऐसी पात्र खाद्य प्रसस्करण, पशु सम्बद्ध आधारित तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों तथा पूर्वान्वय, बुन्देलखण्ड व मध्यांचल में स्थापित होने वाली समस्त इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रु. 5 से 10 करोड़ हो तथा उपरोक्त से जिन सभी इकाइयों जिनमें स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश रु. 12.50 से 25 करोड़ तक हो ब्याज मुक्त रहा हेतु यू.पी.एफ.सी.को आवेदन करेगी।

उपरोक्त से भिन्न सभी इकाइयों ब्याज मुक्त ऋण हेतु पिकप को आवेदन करेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई पात्र इकाई वर्ष की समाप्ति के अग्रिम 30 सितम्बर तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु आवेदन नहीं देती है तो विलम्ब की अवधि उसकी 10 वर्ष की पात्रता अवधि के अंतिम वर्ष

से घटा दी जायेगी तथा इकाई भवशेष अवधि के लिये ही ब्याज मुक्त क्रहने की पात्र होगी।

- 5(2) पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को नये स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित माल के उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन पर अनुतान किये गये उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर तथा केन्द्रीय बिक्रीकर के द्वारा के समतुल्य धनराशि अथवा उस वर्ष के वार्षिक विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन अथवा यथास्थिति उस वर्ष की अवशेष अवधि के विक्रय धन/अतिरिक्त विक्रय धन के 10% प्रतिशत, जो भी कम हो, के समतुल्य धनराशि ब्याज मुक्त क्रहने के रूप में स्वीकृत करें।
- 5(3) प्रबन्ध विवेचक पिकप / यू.पी.एफ.सी. का यह दायित्व होगा कि ब्याज मुक्त क्रहने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रार्थना पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के सन्दर्भ कर दिया जाए। प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की वजा में अस्वीकरण के कारणों का उल्लेख करते हुए इकाई को अपेक्षा एक सप्ताह में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाएगा। अस्वीकरण के विलम्ब इकाई सचिव, औद्योगिक विकास विभाग को प्रार्थना पत्र दे सकती है, जिस पर निर्णय प्रस्तर 12 में गठित समिति द्वारा इकाई को सुनवाई का अवसर देने के बाद लिया जाएगा।
- 5(4) ब्याज मुक्त क्रहने की सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात उस अनुतान की अतिम तिथि के अगले 5 वर्ष तक इकाई बन्द न कर दी जायेगी। इस हेतु व्यवस्था मेमोरांडम ऑफ अप्टरस्ट्रॉडिंग (एम.ओ.यू.) के माध्यम से पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा की जायेगी।
- 5(5) पिकप/यू.पी.एफ.सी. ब्याज मुक्त क्रहने स्वीकृत आदेश वर्ष प्रति औद्योगिक विकास विभाग तथा पात्र इकाई को भेजेगा। योजना अन्तर्गत क्रप्तु धनराशि औद्योगिक विकास विभाग आवश्यकतानुसार पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायेगा।
- 5(6) पिकप/यू.पी.एफ.सी. को स्वीकृत क्रप्तु राशि का लेखा शीष्कर किता विभाग द्वारा बाद में आवश्यक दिया जाएगा।
- 5(7) प्रत्येक वर्ष वसूल हुए क्रहने तथा ब्याज को उसी वर्ष में उपरोक्त क्रहने लेखा शीष्कर के प्राप्ति पक्ष में जमा किया जायेगा।
- 5(8) औद्योगिक विकास विभाग उपरोक्त क्रहने लेखा शीष्कर के नियन्त्रक व प्राकल्पन अधिकारी होगा। वह लेखा शीष्कर के बजट तथा पुनरीक्षित अनुमान प्रस्तावित करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अनुपूरक मान का प्रस्ताव करें।
- 5(9) वितरित किये गये क्रहने की वापसी क्रहने वितरण की तिथि के 7 वर्ष की समाप्ति की ठीक बाद की तिथि तक पात्र इकाई द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को बैंक इफ्ट / इलेक्ट्रोनिक बिलयरेस के माध्यम से की जायगी।
- 5(10) निर्धारित अवधि में क्रहने की राशि वापस न करने पर पात्र इकाई

को देरी की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देना होगा। प्रत्येक माह अद्यता उसके भाग को इस हेतु एक माह माना जायेगा।

- 5(11) ब्याज मुक्त क्रृष्ण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये इकाई द्वारा वापस की गई धनराशि का समयोजन पहले मुलधन में किया जाएगा। उसके पश्चात अवशेष धनराशि का समयोजन देख ब्याज, यदि कोई हो, में किया जाएगा।

5(12) पात्र इकाई अपनी परिसम्पत्तियों पर पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पक्ष में प्रथम अथवा द्वितीय प्रभार उत्पन्न करेंगी जो क्रृष्ण की धनराशि की सुरक्षा के लिये पर्याप्त हो। पिकप/यू.पी.एफ.सी. युक्तियुक्त कारणों को अधिलिखित करते हुये द्वितीय प्रभार के अतिरिक्त पात्र इकाई के साझेदार, निदेशकों से अतिरिक्त जमानत अथवा पर्सनल-बॉण्ड मांग सकते हैं। पात्र इकाई से प्रतिमूर्ति की कमी को आवश्यकतानुसार कोलेज सिक्योरिटी के रूप में भूमि/भवन लेकर पूर्ण किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त इस इकाई प्राप्त की गयी परिसम्पत्तियों की ग्रहणाधिकार (lien) सञ्चालित विधिक औपचारिकताएं पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा दुनिश्चित की जायेगी।

इकाई द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक से ब्याज मुक्त क्रृष्ण के समरुप बैंक गारंटी (समूर्ध क्रृष्ण योजनाओं की अवधि के लिये) भी स्वीकार किया जा सकता है।

5(13) निर्धारित तिथि पर मुग्नान न किये जाने की दशा में पिकप/यू.पी.एफ.सी. पात्र इकाई को कारण बताओं नोटिस देंगे तथा संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने पर इकाई के विरुद्ध बकाया धनराशि जी भू-राजस्व के रूप में वसूली होती (वसूली - नाण्डपत्र) जारी करेंगे तथा आवश्यकतानुसार न्यायालय में वाह भी दायर करेंगे या अन्य समन्वित विधिक कामयाही करेंगे व लिमिटेड कम्पनी की दशा में उसकी वाइन्ड-अप के लिये सक्षम न्यायालय से अनुरोध करेंगे।

(14) पिकप/यू.पी.एफ.सी. द्वारा अधिकृत अधिकारी पात्र इकाई की फैक्ट्री, इंजिन गोपाल वाहन तथा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं जिससे मुनिश्चित किया जा सके कि इकाई द्वारा योजना की शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है।

(15) इस योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त क्रृष्ण की सुविधा उन्हीं पात्र इकाईयों को स्वीकृत की जाएगी जो राज्य भक्तार केंद्र सरकार अथवा वित्तीय संस्थाओं के देशों के मुग्नान में वित्तीय (डिफल्टर) न हों तथा इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र उनके द्वारा पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध कराया जाए।

प्र इकाई पर प्रतिबंध होगा कि वह बिना पिकप/यू.पी.एफ.सी. के पूर्व विष्ट स्वीकृति के न तो इकाई के कॉन्स्ट्रीट्यूशन, फैक्ट्री तथा पंजीकृत योजनाएँ में परिवर्तन करेंगे और न ही इकाई अपनी परिसम्पत्तियों की गयी, किराये पर देगी या परिसम्पत्ति के स्वामित्व में कोई परिवर्तन करेंगी।

- 7 शर्त-6 के यदि पात्र इकाई द्वारा उपरोक्त प्रस्तार-6 की किसी शर्त का उल्लंघन किया उल्लंघन का प्रभाव जाता है अथवा गलत तथ्य उपलब्ध कराये जाते हैं तो पिकप/यू.पी.एफ.सी. की इकाई की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् स्वीकृत क्रण निरस्त करने का अधिकार होगा। तथा ऐसे भादेश की प्राप्ति तिथि को सम्पूर्ण अवशेष धनराशि देय हो जायेगी। अवशेष क्रण के मुगतान में देरी की दशा में पात्र इकाई क्रण देय होने की तिथि तथा वास्तविक भुगतान की तिथि की अवधि के लिये 1.25 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज की देनदार होगी।
- 8 पात्र इकाई के दायित्व क्रण देयता की अवधि में, पात्र इकाई के लिये गिर्वालिखित व्यवस्था आवश्यक होगी :-
- अन सभी अनुबन्ध तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा जो पिकप/यू.पी.एफ.सी के भत्तानुसार आवश्यक हो।
 - वह सभी सूचनायें पिकप/यू.पी.एफ.सी. को उपलब्ध करायी जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जायें।
- 9 न्यायालय के क्षेत्राधिकार किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्राधिकृत संस्थाओं के मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में पिकप/यू.पी.एफ.सी., द्वारा इकाई को “अण्डर सॉर्टीफेट आफ पोस्टिंग” से भेजी गयी सूचना/ नोटिस आदि विधिवत् तामील मानी जायेगी।
- 10 व्यव भार व्याज मुक्त क्रण में आने वाले सभी व्यव जिसमें विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यव, स्टेम्प शुल्क, अधिकृता, सॉलिस्टर शुल्क व अन्य अनुषांगिक व्यव शामिल हैं, पात्र-इकाई द्वारा औप्रम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त व्याज मुक्त क्रण की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यव भी पात्र इकाई द्वारा दिया जायेगा।
- 11 अनुबन्ध इस नियमावली के प्रतिबंध / प्राविधिक लागू करने के लिये पात्र इकाई पिकप/यू.पी.एफ.सी. के साथ अनुबन्ध निष्पादित करें।
- 12 समस्याओं का समाधान तथा योजना का अनुश्रवण
- इस योजना के किसी बिन्दु पर शक्ति निवारण अथवा समस्या समाधान हेतु भादेश औद्योगिक विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
 - इस योजना के अन्तर्गत कार्यवाही का अनुश्रवण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग की अधिकारी में गठित एक समिति करेंगी जिसमें जिस सदस्य होंगे :
 - प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त
 - प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग।
 - प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
 - प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम।
 - अधिकारी सी निदेशक, उद्योग बन्धु।

आज्ञा से,

(संजय प्रसाद)

सात्सव।

अनुलग्नक - 1

पूर्वाञ्चल	बुन्देलखण्ड	मध्योचल
फैजाबाद मण्डल	झांसी मण्डल	कानपुर मण्डल
1 फैजाबाद	1 झांसी	1 कानपुर नगर
2 अंडेडेकरनगर	2 जालौन	2 कानपुर देहात (रमाबाईनगर)
3 बराबंकी	3 ललितपुर	3 इटावा
4 सुल्तानपुर	चिक्रकूट मण्डल	4 औरेया
5 अमेरी	4 चापा	5 फस्तखाबाद
गोरखपुर मण्डल	5 चिक्रकूट	6 कल्लोज
6 गोरखपुर	6 हमीरपुर	लखनऊ मण्डल
7 देवरिया	7 नहोबा	7 लखनऊ
8 महाराजगंज		8 हरिहार
9 कृशीनगर		9 लखीमपुर खीरी
इलाहाबाद मण्डल		10 रायबरेली
10 इलाहाबाद		11 सीतापुर
11 काशीपुरी		12 उन्नाव
12 फतेहपुर		
13 प्रतापगढ़		
वाराणसी मण्डल		
14 वाराणसी		
15 चन्दौली		
16 जौनपुर		
17 गजीपुर		
मिजापुर मण्डल		
18 मिजापुर		
19 सन्तरदिवासनगर (भद्राढी)		
20 सोनभद्र		
आजमगढ़ मण्डल		
21 आजमगढ़		
22 बलिया		
23 मऊ		
देवीपाटन मण्डल		
24 गोप्ता		
25 बहराइच		
26 बलरामपुर		
27 श्रीवस्ती		
बस्ती मण्डल		
28 बस्ती		
29 सन्तकबीरनगर		
30 सिङ्धार्थनगर		